

26/1/22

हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील में
जारी हुए

23.10.2024

पत्रावली पेश हुई। अपीलांट्स के अधिवक्ता एवं रेस्पोंडेंट संख्या दो की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त हो चुकी है। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध माननीय राजस्व मण्डल द्वारा निगरानी संख्या 5721/2022 अनवान कुम्भसिंह बनाम चैनसिंह इत्यादि में पारित निगरानीधीन आदेश दिनांक 13.10.2022 के मुताबिक माननीय मण्डल की एकलपीठ द्वारा अदालत हाजा द्वारा हस्तगत अपील में पारित स्थगन आदेश दिनांक 23.06.2022 को निरस्त किया जाकर विचारण न्यायालय को उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 को एक माह की अवधि में निस्तारित किये जाने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया है। ऐसी स्थिति में हस्तगत अपील प्रभावहीन/औचित्यविहिन हो चुकी है। लिहाजा माननीय मण्डल के निर्देशों के क्रम में अपील अपीलांट प्रभावहीन होने से खारिज की जाती है तथा प्रकरण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विधिनुसार निस्तारण हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय आदेश प्रति भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर